



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 25.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (एडीजे स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (02 वर्ष 08 माह) एवं 5,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त बंटे पुत्र रुप सिंह निवासी मो० शान्तिनगर कोतवाली उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु०अ०सं० 877/23 धारा 399/401 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त बंटे उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (02 वर्ष 08 माह) एवं 5,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री महेन्द्र विक्रम सिंह
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० प्रेम किशोर
कोर्ट मुहरिर



का० राहुल लवानिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

